



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092026-276167
CG-DL-E-14092026-276167

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4873]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948

No. 4873]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2026

(सं.119-2026/ सीबीडीटी)

का.आ. 5063(अ).—आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4)(b) के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्वारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की ('आईआईटी, रुड़की') (पैन: AAALI0033R) को उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 45(3)(a)(i) और आयकर नियम, 2026 के नियम 32 और 34 के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था की श्रेणी के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की पर कर वर्ष 2026-2027 से 2030-2031 के लिए लागू होगी, बशर्ते कि यह:

(i) आयकर नियम, 2026 के नियम 34 में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करता रहेगा;

(ii) प्रत्येक कर वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4)(a) के तहत प्रपत्र संख्या 15 में विवरण तैयार करेगा और इसे आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार, दान प्राप्त होने वाले कर वर्ष के तुरंत बाद आने वाली 31 मई को या उससे पहले आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवायेगा;

(iii) आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार, प्रपत्र संख्या 16 में दान की राशि का उल्लेख करते हुए दानकर्ता को प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

[फा. सं. 203/32/2025/आईटीए-II]

इंदु बाला, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2026

[No. 119 of 2026-CBDT]

S.O. 5063(E).— In pursuance of the section 45(4)(b) of the Income-tax Act, 2025, the Central Government hereby approves the Indian Institute of Technology, Roorkee (PAN: AAALI0033R) for **Scientific Research** under the category of **University, college or other institution**, for the purposes of section 45(3)(a)(i) of the said Act of 2025 and rules 32 and 34 of the Income-tax Rules, 2026.

2. This notification shall be applicable to the Indian Institute of Technology, Roorkee for the tax years 2026-2027 to 2030-2031, subject to the conditions that it shall—

(i) comply with the conditions specified in rule 34 of the Income-tax Rules, 2026;

(ii) prepare statement under section 45(4)(a) of the Income-tax Act, 2025 for each tax year in Form No.15 and deliver or cause to be delivered to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him on or before the 31st May, immediately following the tax year in which the donation is received, in accordance with rule 31 of the Income-tax Rules, 2026;

(iii) furnish to the donor, a certificate in Form No.16 specifying the amount of donation in accordance with rule 31 of the Income-tax Rules, 2026.

[F. No. 203/32/2025/ITA-II]

INDU BALA, Deputy Secy.